तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म ... में जारी
2/5/19	पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार बैंगू द्वारा फर्द बटवारा रिपोर्ट न्यायालय में पेश किया गया जिसको शामिल मिसल पत्रावली किया गया। पत्रावली आईन्दा वास्ते अंतिम बहस 13/5/19 को पेश हो। तहसीलदार बेगूं को पत्र जारी हो कि बहस के समय आप न्यायालय में उपस्थित रहे। [signature]	
13/5/19	पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर होने से अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुसार दिनांक 11/6/19 को पेश हो। [signature]	
11/6/19	पत्रावली आज पेश हुई। अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली आइन्दा वास्ते आदेश दिनांक 25/6/19 को पेश हो।	
25/6/19	पत्रावली आज पेश हुई। कार्यव्यस्तता के कारण आदेश नहीं लिखा गया। पत्रावली आईन्दा वास्ते मजिद बहस व आदेश हेतु दिनांक 2/7/19 को पेश हो। [signature]	
2/7/19	पत्रावली आज पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली में उपलब्ध फर्द बटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता तहसीलदार बेगूं द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवारा रिपोर्ट पर सहमत हुए तथा फर्द बटवारा रिपोर्ट अनुसार वाद अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत .... मुकाम ....

.... माद .... बनाम शंकरलाल

करम मुकदमा .... नं. 12/17 .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	अत: वादपत्र वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) 2/3/18	

न्यायालय सहायक कलक्टर बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ राज.

प्रार्थना–पत्र संख्या 12/2017

1. मादु पिता नाथू जी धाकड निवासी हनुतिया तहसील बेगूँ

.........वादी

बनाम

1. श्रीशंकरलाल पिता स्व0 कजौड धाकड निवासी हनुतिया तहसील बेगूँ
2. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चेची तहसील बेगूँ
3. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील कार्यालय बेगूँ
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय जी प्रतिनिधि राजस्थान राज्य चित्तौड़गढ़ राज.

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी
अभिभाषक वादीगण

निर्णय दिनांक : 02/07/2019

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी कि ओर से वादपत्र अधिवक्ता विष्णु कुमार चतुर्वेदी द्वारा प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है कि– मोजा हनुतिया पटवार हल्का रामपुरिया तहसील बेगूँ कि खाता संख्या 12 कि आराजी संख्या 57, 63, 67, 175, 187, 193, 250, 322 कुल किता –8 कुल रकबा 3.3900 है0 कृषि आराजी संयुक्त स्वामित्व कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रेकार्ड स्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी कि कृषि आराजीयात में वादी का 1/2 हक–हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हक–हिस्सा निहित हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 मौखिक रूप से उक्त संयुक्त कृषि आराजीयात पर आपसी सहमति से अपने–अपने हक हिस्से कि कृषि आराजीयात पर काबिज होकर निरन्तर काश्त कर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन वाद वर्णित कृषि आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन नही होने से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आये दिन सीमाओ को लेकर एवं फसल, घास काटते समय व लगान जमा कराते समय मनमुटाव होकर विवाद बना रहता है जिसे स्थाई समाधान हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत हैं। उक्त वाद वर्णित कृषि आराजीयात में वादी का निहित हक हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 1 का निहित हक हिस्सा 1/2 भूमि जो अविभाजित है जिसको विधिवत रूप से विभाजन करा खाता अलग अलग करने के लिए वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादी 1 को कहा लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इंकार किये जाने से यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान् के यहाँ प्रस्तुत करने कि आवश्यकता हुई हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 कि उक्त संयुक्त खातेदारी कि कृषि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के निहित हक हिस्सा अनुसार भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का मिट्स एवं बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन कर खाता पृथक–पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने कि घोषणात्मक डिक्री प्रदान कराये जाने बाबत् यह वादपत्र न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश किया हैं। वाद वर्णित कृषि आराजीयात का मुल्याकन दस लाख रूपये आंका जाकर वादपत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क पर प्रस्तुत हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मृतक खातेदार कजोड द्वारा अपने निहित हक हिस्सा 1/2 भूमि पर बडोदा राजस्थान ग्रामीण बेंक शाखा चेची से कृषि ऋण लेने व प्रतिवादी के हिस्से कि भूमि बेंक शाखा के रहन होने से शाखा को प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार बनाया हैं। श्रीमान् भूमिधारी जी एवं जिला कलेक्टर महोदय राज्य के प्रतिनिधि होने से विभाजन घोषणा में आवश्यक होने से प्रतिवादी संख्या 3 एवं 4 के रूप में पक्षकार बनाये हैं। अतः वादी निम्न अनुतोष कि प्रार्थना करते है कि–

1. कि उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी कि कृषि भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हक हिस्सा भूमि का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर व काबिजानुसार भूमि का विभाजन किये जाने कि आज्ञाप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जाने कि घोषणा फरमायी जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता मृतक

Scanned by CamScanner

खातेदार कजोड द्वारा अपने निहित हिस्सा 1/2 भूमि पर ऋण लेने से रहन का अंकन भी प्रतिवादी संख्या 1 कि हिस्सा भूमि पर दर्ज किये जाने कि आज्ञप्ति प्रदान करायी जाये।

2. कि बाद विभाजन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा भूमि का खाता भी पृथक–पृथक रूप से राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये जाने कि आज्ञाप्ति वादी के पक्ष में प्रदान करायी जावें।
3. कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावें।
4. कि वाद व्यय, अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रदान कराया जावें।

वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये। सभी प्रतिवादीगण को जारीशुदा सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण न्यायालय में हाजिर नही आने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। तत्पश्चात पत्रावली एकतरफा साक्ष्यवादी हेतु नीयत की गयी। मुख्य परीक्षण में साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र वादी माधु का पेश किया गया। तत्पश्चात पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प रामपुरिया में रखी गयी जहाँ पक्षकारान उपस्थित आने से वादपत्र में सुनवाई की जाकर वादपत्र वादी का स्वीकार करते हुये प्राथमिक डिकी किया गया जो इस प्रकार हैं–

वादपत्र वादी का अन्तर्गत धारा 53,88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मोजा हणुतिया पटवार हल्का रामपुरिया कि आराजी संख्या 57, 63, 67, 175, 187, 193, 250, 322 कुल किता– 8 कुल रकबा 3.3900 हेक्टर भूमि में से वादी का 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा का बटवारा कर, वादी का खाता राजस्व रेकार्ड में अलग से कायम किये जाने कि घोषणात्मक आज्ञाप्ति प्रदान की जाती हैं।

उक्त प्राथमिक डिकी कि पालना में तहसीलदार बेगूँ द्वारा फर्द बटवाडा रिपोर्ट/ बटवाडा प्रस्ताव न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात वादी अधिवक्ता ने अपनी एकतरफा बहस में बताया कि बटवाडा प्रस्ताव, वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के अनुसार होने से उक्त प्रस्ताव को स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण में अंतिम डिकी जारी किये जाने के आदेश दिये जावें।

बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज एवं तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रस्तुत बटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं मनन किया गया जिसमें पाया कि उक्त बटवाडा प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी की गयी प्राथमिक डिकी अनुसार हैं।

अतः तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रस्तुत फर्द बटवाडा प्रस्ताव अनुसार हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 02/07/2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

2/7/19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर
बेगूँ,जिला चित्तौडगढ

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर बेगूँ, जिला–चित्तौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :– 12/2017

श्री मादु पिता नाथू जी धाकड निवासी हनुतिया तहसील बेगूँ

.........वादी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता स्व0 कजोड धाकड निवासी हनुतिया तहसील बेगूँ
2. श्री शाखा प्रबन्धक महोदय बडोदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा चेची तहसील बेगूँ
3. श्री भूमिधारी तहसीलदार, तहसील कार्यालय बेगूँ
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान राज्य चित्तौड़गढ राज.

.........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी
अभिभाषक वादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी कि उपस्थिति में इस वाद पत्र अ0धा0 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 का आज तारीख 25/06/2019 को सहायक कलेक्टर, बेगूँ के समक्ष अंतिम डिकी निपटारे के लिए पेश होने पर अंतिम डिक्री के आदेश दिये जाते हैं :–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा हणुतिया पटवार हल्का रामपुरिया कि आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य निम्न प्रकार से विभाजन किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में खाता पृथक पृथक दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है:–

1– वादी मादु पिता नाथू धाकड निवासी हणुतिया खातेदार –

आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
57 मेंसे	0.305	1.89
63 में से	0.055	0.34
67 में से	0.120	0.75
175 में से	0.050	1.70
187 में से	0.210	7.16
193 में से	0.210	7.16
250 में सें	0.245	8.36
322 में से	0.500	3.10
कुलकीता– 8,	कुल रकबा 1.695 हैक्टर	30.46

2– प्रतिवादी शंकरलाल पिता कजोड़ धाकड निवासी हणुतिया खातेदार रहन बडोदा ग्रामीण राष्ट्रीय बेंक शाखा चेची हिस्सा कजोड के वारिसान का–

आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
57 मेंसे	0.305	1.89
63 में से	0.055	0.34
67 में से	0.120	0.74
175 में से	0.050	1.71
187 में से	0.210	7.16
193 में से	0.210	7.16
250 में सें	0.245	8.35
322 में से	0.500	3.10
कुलकीता– 8,	कुल रकबा 1.695 हैक्टर	30.45

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवदी का खाता राजस्व रेकार्ड मे पृथक–पृथक दर्ज किये जाने कि घोषणा की जाती हैं।

यह अंतिम डिकी आज दिनांक 02/07/2019 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुहर से जारी की गई।

2/7/19

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
सहायक कलेक्टर,
बेगूँ

Scanned by CamScanner